

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1950 / 11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 07, 2024
सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के किमी० 0.000 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/180/2023/एफ०सी०/501, दिनांक 05.02.2024 एवं मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का पत्रांक-3403/14-10-4, दिनांक 06.02.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के उपरोक्त पत्रांक-3403/14-10-4, दिनांक 06.02.2024 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त पत्र की छायाप्रति सहित वांछित बिन्दुवार सूचना इस अनुरोध के साथ ऑनलाईन अपलोड कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया विषयकित प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 1950 / 11-सी-FP/UP/Road/146875/2021, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
2. प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई।
3. अधिशासी अभियन्ता, एन०एच० डिवीजन, लो०नि०वि०, कानपुर।

(अनुपम गुप्ता)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक:- 3403 / 14-10-4 , लखनऊ, दिनांक 06 फरवरी, 2024
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

सीतापुर-हरदोई (राजमार्ग संख्या-330डी) के कि०मी० 0.00 से 38.853 तक दो लेन से चार लेन पेब सोल्टर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई व प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ का पत्रांक-8बी/यू०पी०/०६/१८०/२०२३/एफ०सी०/५०१ दिनांक-०९.११.२०२३ एवं आपका पत्रांक-१२५७/११-सी-FP/UP/Road/146875/2021 दिनांक-०५.०२.२०२४।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर ने आपत्तियों का निराकरण कर अपने पत्रांक-५२९०/१४-१ दिनांक-०६.०२.२०२४ द्वारा आख्या/अभिलेख प्रेषित किया गया है। जिसे ऑनलाइन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त सम्बन्ध में अपने स्तर से अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार(ऑनलाइन)

भवदीया,

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

पत्रांक- / उक्तदिनांकित:

प्रतिलिपि-प्रभागीय निदेशक, सा०वा० वन प्रभाग, सीतापुर एवं हरदोई को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(रेणु सिंह)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
मुख्य वन संरक्षक
लखनऊ मण्डल उ०प्र०, लखनऊ

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग-सीतापुर

पत्रांक 5290/14-1
सेवा में,

दिनांक, सीतापुर 06-02-2024

मुख्य वन संरक्षक
उ०प्र० लखनऊ मण्डल
लखनऊ।

ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UP/ROAD/146875/2021

विषय:- सीतापुर - हरदोई (राष्ट्रीय राज्यमार्ग 330D) के किमी० 0.000 से 38+853 तक दो लेन से चार पेव शोल्डर सहित चौड़ीकरण में सीतापुर वन प्रभाग में प्रभावित 28.707 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1549 वृक्षों के पातन तथा हरदोई वन प्रभाग में प्रभावित 8.28 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1200 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 36.987 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 2749 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

Ref.: Govt. of India, MoEFCC, IRO, Lucknow's letter No. 8B/UP/06/180/2023/FC/501, dated 05.02.2024

महोदया,

विषयक संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नानुसार कर दिया गया है।

Sr. No.	EDS dated 05.02.2024 raised by GoI, MoEFCC- IRO, Lucknow	आख्या
1.	Polygon of KML file uploaded does not match with the area proposed for diversion of Sitapur Forest Division. Thus, revised KML file of area proposed for diversion needs to be provided.	Polygon of KML file matching with the area proposed for diversion in Sitapur Forest Division has been corrected/ revised and the revised KML file has been uploaded on Parivesh Portal.
2.	The KML file of CA area needs to be revised to exclude private lands of farmers. Revised KML files needs to be uploaded on Parivesh Portal.	आपत्ति के क्रम में अवगत कराना है कि जो कृषि भूमि मामूपुर एवं कुमायूपुर के समीप प्रदर्शित हो रही है वह भूमि वन भूमि ही है उक्त भूमि पर ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा।

अतः उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय
(नवीन खण्डेलवाल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांक: / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(नवीन खण्डेलवाल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर